

डाक-व्यय की पूर्व-अदायगी के बिना  
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.  
अनुमति-पत्र क्र. भोपाल-म. प्र.  
बि.पू.भु.-04 भोपाल-02-06.

पंजी. क्रमांक भोपाल डिबीज  
म.प्र.-108-भोपाल-06-08



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## (असाधारण)

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 377]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 27 जुलाई 2006—श्रावण 5, शक 1928

सामान्य प्रशासन विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2006

क्र. एफ. 11-11-2005-एक(9).—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (22 of 2005) की धारा-15 की उपधारा (1) अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन द्वारा इस अधिनियम में वेष्टित शक्तियों को उपयोग में लाने एवं सौंपे गए कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-11-2005-एक-9, दिनांक 22 अगस्त, 2005 से "मध्यप्रदेश सूचना आयोग" का गठन किया जा चुका है.

2. राज्य सूचना आयोग में श्री टी. एन. श्रीवास्तव, मुख्य सूचना आयुक्त हैं.

3. मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पांच वर्ष तक अथवा पैंसठ वर्ष की आयु पूर्ण करने तक, जो भी पहले हो, होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 27 जुलाई 2006

क्र. एफ. 11-11-2005-एक(9) — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समस्त अधिसूचना दिनांक 27 जुलाई, 2006 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार  
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

Bhopal, the 27th July 2006

No. F. 11-11-2005-1 (IX).—In exercise of power conferred by sub-section (1) of Section (15) of Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the State Government *vide* Notification No. F. 11-11-2005-1 (IX), dated 22nd August, 2005 has already constituted a body to be known as the "State Information Commission", to exercise the powers conferred on, and to perform the functions assigned to it, under the said Act.

2. The State Information Commission consists of Shri T. N. Shrivastava, Chief Information Commissioner.

3. The Chief Information Commissioner shall be for a term of five year or the date on which he attains the age of sixty five years, whichever is earlier, from the date on which he enter upon his office.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
AKHILESH ARGAL, Addl. Secy.